

थाना बडौत

दिनांक 16.11.2024

थाना बडौत पुलिस ने चैकिंग के दौरान 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से एक अवैध चाकू बरामद।

कार्यवाहीः-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम हेतु चलाए जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना बडौत पुलिस द्वारा चैकिंग के दौरान 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है, जिसके कब्जे से एक अवैध चाकू बरामद हुआ है।

उक्त बरामदगी व गिरफ्तारी के सम्बन्ध में थाना बडौत पर मु0अ0सं0 782/24 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।



गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व

पता-

समद पुत्र मीरहसन निवासी ग्राम लोयन थाना बड़ौत जनपद बागपत। बरामदगी का विवरण-

• एक अवैध चाकू।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

- 1- उ0नि0 श्री संजय सिंह पूनियाँ थाना बडौत जनपद बागपत।
- 2- उ0नि0 श्री ऋषिभान सिंह थाना बडौत जनपद बागपत।

3- है0का0 674 प्रवेन्द्र सिंह थाना बडौत जनपद बागपत।




दिनांक 16.11.2024

थाना बडौत पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 778/24 धारा 115(2)/352/351(2) बीएनएस में वाँछित एक अभियुक्त को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से एक अवैध तमंचा .315 बोर बरामद।

सक्षिप्त विवरणः-

दिनाँक 14.11.2024 को श्री
मुकुन्द पुत्र रामवीर सिंह
निवासी बावली रोड़ कस्बा
बडौत थाना बडौत जनपद
बागपत ने सूचना दी कि
दिनाँक 12.11.2024 को
उसके रिश्तेदारों मंजीत व
साहिल पुत्रगण सुनील निवासी
रोहिणी दिल्ली ने अभियुक्तों
1.विशेष पुत्र विक्रम निवासी
ग्राम जीवाना थाना रमाला,
2.हिमांशू निवासी ग्राम बावली
थाना बड़ौत, 3. निर्भय निवासी
कस्बा बड़ौत के साथ मिलकर



उसके साथ मारपीट की तथा गाली-गलौच करते हुए जान से मारने की धमकी दी। इस सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना बडौत पर मु0अ0सं0 778/24 धारा 115(2)/352/351(2) बीएनएस पंजीकृत किया गया।

कार्यवाहीः-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वाँछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना बडौत पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 778/24 धारा 115(2)/352/351(2) बीएनएस में वाँछित एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है, जिसके कब्जे से एक अवैध तमंचा .315 बोर बरामद हुआ है। उक्त गिरफ्तारी एवं बरामदगी के सबंध में थाना बडौत पर अभियोग पंजीकृत कर

आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

निर्भय पुत्र कुंवरपाल निवासी मौ0 दिलीप विहार करूबा व थाना बडौत जनपद बागपत।

बरामदगी का विवरण-

• एक अवैध तमंचा .315 बोर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-उ0नि0 श्री वीरेन्द्र सिंह थाना बड़ौत।

2-है0का0 59 विजयपाल सिंह थाना बड़ौत।

3-का0 1030 शुभम सारस्वत थाना बड़ौत।



प्रेस नोट जनपद बागपत थाना खेळडा

दिनाँक 16.11.2024

थाना खेकडा पुलिस ने सार्वजनिक स्थान पर सट्टे की खाईबाडी करते समय 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से 02 सट्टा पर्ची, 01 गत्ता, 01 पैन व 660 रूपये नगद बरामद।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं सार्वजनिक स्थान पर जुआ/सट्टा खेलने वाले अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना खेकडा पुलिस ने सार्वजनिक स्थान पर सट्टे की खाईबाडी करते समय 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है, जिसके कब्जे से 02 सट्टा पर्ची, 01 गत्ता, 01 पैन व 660 रूपये नगद बरामद हुए हैं।



उक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना खेकडा पर अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

गुलफाम पुत्र हमीद निवासी ग्राम सांकरौद थाना खेकड़ा जनपद बागपत।

बरामदगी का विवरण-

- 02 सट्टा पर्ची ।
- 01 गत्ता ।
- 01 पैन।
- 660 रूपये नगद।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1- उ0नि0 श्री अमरदीप सिंह थाना खेकडा।
- 2- उ0नि0 श्री महेन्द्र प्रकाश शर्मा थाना खेकडा।
- 3- है0का0 442 मो0 आफाक थाना खेकडा।
- 4- है0का0 45 अरुण कुमार थाना खेकडा।
- 4- का0 978 पुनीत कुमार थाना खेकडा।





प्रेस नोट जनपद बागपत थाना खेकड़ा

दिनाँक- 16.11.2024

थाना खेकड़ा पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 329/24 धारा 305/331(4) बीएनएस में वांछित एक अभियुक्त को किया गिरफ्तार।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 07.10.2024 को थाना खेकड़ा पर वादी आशीष कुमार पुत्र बृजपाल सिंह निवासी ग्राम साकरौद थाना खेकड़ा जनपद बागपत ने सूचना दी कि किसी अज्ञात चोर द्वारा उसकी दुकान में से रात्रि में दीवार तोड कर विभिन्न कम्पनी के जूते/चप्पल/सैन्डल/अंडर वियर चोरी कर लिये गये हैं। इस सम्बन्ध प्राप्त तहरीर के



आधार पर थाना खेकड़ा पर मु0अ0सं0 329/24 धारा 305/331(4) बीएनएस पंजीकृत किया गया ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना खेकड़ा पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 329/24 धारा 305/331(4) बीएनएस में वांछित 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है।

उक्त गिरफ्तारी के सम्बन्ध में थाना खेकड़ा पर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है। नोट- दिनांक 08.11.2024 को थाना खेकड़ा पुलिस द्वारा अभियुक्त विक्की उर्फ़ विशाल पुत्र बबलू निवासी काशीराम कॉलोनी करूबा खेकड़ा थाना खेकड़ा जनपद बागपत को चोरी किये हुए 49 जोडी विभिन्न कम्पनियों के जूते/चप्पल व 160 रूपये नगद के साथ गिरफ्तार किया जा चुका है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

साकिर पुत्र कय्यूम निवासी काशीराम कॉलोनी करूबा खेकडा थाना खेकडा जनपद बागपता

गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहास-

- 1-मु0अ0 सं0 263/23 धारा 380/411 भादवि थाना खेकडा जनपद बागपत।
- 2-मु0अ0सं0 302/23 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना खेकडा जनपद बागपत।
- 3-मु0अ0सं0 329/24 धारा 305/331(4) बीएनएस थाना खेकडा जनपद बागपत ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

विक्की उर्फ विशाल पुत्र बबलू निवासी काशीराम कॉलोनी करबा खेकड़ा थाना खेकड़ा जनपद बागपत।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-उ0नि0 श्री अमरदीप सिंह थाना खेकडा।
- 2-उ0नि0 श्री महेन्द्र प्रकाश शर्मा थाना खेकडा।
- 3-का0 937 पुनीत कुमार थाना खेकडा।